क्रमांक 1430–3एस–71/5968

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा के सभी विभाग अध्यक्ष,
कमिश्नर अम्बाला मंडल और सभी उपायुक्त
तथा उप मंडल अधिकारी।
दिनांक चण्डीगढ 31 मार्च, 1971

विषय :– जिला के सभी राजपत्रित अधिकारियों पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे नीति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस समय लागू अनुदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षकों, उप-पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य विभागों के जिला अधिकारियों व जिला के सभी राजपत्रित अधिकारियों के काम पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में उपायुक्त निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार एकत्र करने के लिये सक्षम है :–

(क) पुलिस अधीक्षक तथा उप-पुलिस अधीक्षक

(1) ईमानदारी के बारे में प्रतिष्ठता।
(2) जनता से सम्पर्क
(3) समूचे तौर पर व्यक्तित्व तथा विधि व्यवस्था ठीक रखने में दक्षता।

(ख) अन्य विभागों के जिला अधिकारी तथा सभी राजपत्रित अधिकारी (जिन में जिले के कालेजों के प्रिंसिपल भी शामिल हैं।

(1) ईमानदारी
(2) जनता से सम्पर्क
(3) विकास योजनाओं तथा सरकार की नीति को पूरा करने में काम।

श्रेणी (क) में आने वाले अधिकारियों के बारे में रिपोर्ट लिखने की पद्धति हरियाणा सरकार के पत्रों क्रमांक 6718–3 एस–68/27185 दिनांक, 24 अक्तूबर, 1968 क्रमांक 6718–3 एस–68/27937, दिनांक 1 नवम्बर 1968 तथा क्रमांक 6718–3 एस–68/1581, दिनांक 20 जनवरी 1969 में दी गई है। श्रेणी (ख) में आने वाले अधिकारियों के काम पर रिपोर्ट लिखने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि उन अधिकारियों की रिपोर्ट उनके Reporting Authority द्वारा initiate की जाने के पश्चात उपायुक्त को भेजी जाया करे। तत्पश्चात उपायुक्त अपने रिपोर्ट रिकार्ड करके संबंधित विभाग के रिव्यूइंग एथौरटी के पास वह रिपोर्ट सीधी भेजेंगे अर्थात ऐसी रिपोर्टों को कमिश्नर अम्बाला मण्डल के माध्यम से रिव्यूईंग एथौरटी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इन हिदायतों के अनुपालन में यह आवश्यक है कि सभी विभाग कृपया अपने राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय रिपोर्ट फार्मों में रिपोर्टिंग एथौरटी के पश्चात उपायुक्त द्वारा रिमार्कस निर्धारित पहलूओं पर रखने के लिये आवश्यक कालम बनाएं तथा उनके नीचे यह भी निर्दिष्ट किया जाये कि उस रिपोर्ट को लिखने के लिये असली रिव्यूईंग एथौरटी कौन है ताकि उपायुक्त को रिपोर्ट ठीक अधिकारी के पास भेजने में दिक्कत न हो।

जिले में जिन राजपत्रित अधिकारियों के बारे में उपायुक्तों द्वारा रिपोर्ट लिखने के आदेश हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 397-3एस-69/6274 दिनांक 4/7 अप्रैल, 1969 द्वारा जारी किये जा चुके हैं, उन में जिले में स्थित कालेजों में प्रिंसिपल शामिल होंगे परन्तु इन कालेजों के अन्य राजपत्रित लैक्चरार शामिल नहीं होंगे। इस के अतिरिक्त गवर्नमैंट मैडिकल कालेज रोहतक के प्रिंसिपल तथा उस कालेज का अन्य राजपत्रित स्टाफ भी शामिल नहीं होगा इसलिये उक्त पत्र में निहित अनुदेश इस हद तक संशोधित किये गए समझे जायें।

आपसे अनुरोध है कि उक्त हिदायतें अनुपालन के लिये नोट कर ली जायें।

भवदीय,
हस्ता/–
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव को सूचनार्थ एवं